



Neutral Citation No. - 2026:AHC:45836

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 8339 वर्ष 2026

दयानंद

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता	:	बृजेश कुमार पाण्डेय
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. कुछ बहस के उपरांत, याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना की गई कि वर्तमान याचिका को वापस ली गई मानते हुए निरस्त किया जाए तथा नवीन याचिका प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए।
2. उक्त प्रार्थना का विद्वान एस.सी. द्वारा विरोध नहीं किया गया।
3. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका को वापस ली गई मानते हुए, याची को यथाप्रार्थित स्वतंत्रता के साथ निरस्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

दिनांक : 27 फरवरी, 2026

साकलैन

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।